न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 442/2024
अनवान : –

1– सवाई सिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2– रायसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— वादीगण

बनाम

1– हंसराज पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2– सोरभ पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3– विधा पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4– सुमन कुमारी पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
5– किरण कुमारी पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.4350 है0 भूमि एवं रोही मौजा 13 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 19 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.1390 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 153 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 1.6445 है0 भूमि में से 189/235 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 46/235 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 191 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.4800 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 190 के कुल खसरे 0.0650 ... में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 3 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादीगण की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पति व पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 जो कि वादी संख्या 2 की पुत्रिया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है प्रकार से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.4350 है0 भूमि में से 0.5060 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है एवं उक्त खाते की शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है तथा रोही मौजा 13 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 19 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.1390 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 153 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 1.6445 है0 भूमि के प0 नं0 332/443 (51) के किला नं. 15/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 है0, 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 है0, 25/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 25/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 332/444 के किला न. 2/4 के मिन पश्चिम की 0.0062 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/6 के मिन पश्चिम की 0.0065 है0 व 2/8 के मिन पश्चिम की 0.505 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व प0 नं0 332/444 के किला न. 2/4 के मिन पूर्व की 0.0063 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/6 के मिन पूर्व की 0.0065 है0 व 2/8 के मिन पूर्व की 0.505 है0 भूमि व प0 नं0 335/444 (59) किला नं. 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 336/444 (58) किला नं. 19 की 0.2530 है0, 20 की 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 191 के प0 नं0 335/438 (36) के किला नं. 12/2 की 0.2400 है0, 19/2 की 0.2400 है0, 22/2 की 0.2400 है0 व प0 नं0 335/437 (31) किला नं. 12/1 की 0.1270 है0, 13/1 की 0.1260 है0, 18/2 की 0.1260 है0, 19/1 की 0.1270 है0, 22/1 की 0.1280 है0, 23/1 की 0.1260 है0 भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 190 की कुल 0.0650 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी [illegible]।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को [illegible] हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल कि गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता व माता यानि की प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने बाहमी बंटवारा कर लिया है एवं मुताबिक बंटवारा ही काबिज है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.4350 है0 भूमि एवं रोही मौजा 13 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 19 के कुल खसरे 5 की कुल ताद[illegible]0 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 26 [illegible] तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 153 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 1.6445 है0 भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

189/235 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 46/235 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 191 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.4800 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 190 के कुल खसरे 0.0650 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 153 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 13 बारानी के खाता संख्या 19 एवं रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 191 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व 25 डीपीएन के खाता संख्या 190 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.4350 है0 भूमि में से 0.5060 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाते की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा 13 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 19 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.1390 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 153 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 1.6445 है0 भूमि के प0 नं0 332/443 (51) के किला नं. 15/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 है0, 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 है0, 25/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 25/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 332/444 के किला न. 2/4 के मिन पश्चिम की 0.0062 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/6 के मिन पश्चिम की 0.0065 है0 व 2/8 के मिन पश्चिम की 0.0505 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 332/444 के किला न. 2/4 के मिन पूर्व की 0.0062 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/6 के मिन पूर्व की 0.0065 है0 व 2/8 के मिन पूर्व की 0.505 है0 भूमि व प0 नं0 335/444 (59) किला नं. 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 336/444 (58) किला नं. 19 की 0.2530 है0, 20 की 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 191 के प0 नं0 335/438 (36) के किला नं. 12/2 की 0.2400 है0, 19/2 की 0.2400 है0, 22/2 की 0.2400 है0 व प0 नं0 335/437 (31) किला नं. 12/1 की 0.1270 है0, 13/1 की 0.1260 है0, 18/2 की 0.1260 है0, 19/1 की 0.1270 है0, 22/1 की 0.1280 है0, 23/1 की 0.1260 है0 भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 190 की कुल 0.0650 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 442/2024

अनवान : –

1– सवाई सिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– रायसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— **वादीगण**

बनाम

1– हंसराज पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

2– सोरभ पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– विधा पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– सुमन कुमारी पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।

5– किरण कुमारी पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।

6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 0442 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 153 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 13 बारानी के खाता संख्या 19 एवं रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 191 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व 25 डीपीएन के खाता संख्या 190 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.4350 है0 भूमि में से 0.5060 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाते की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा 13 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 19 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.1390 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 153 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 1.6445 है0 भूमि के प0 नं0 332/443 (51) के किला नं. 15/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 है0, 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 है0, 25/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाला, 25/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 332/444 के किला न. 2/4 के मिन पश्चिम की 0.0062 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/6 के मिन पश्चिम की 0.0065 है0 व 2/8 के मिन पश्चिम की 0.0505 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 332/444 के किला न. 2/4 के मिन पूर्व की 0.0063 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/6 के मिन पूर्व की 0.0065 है0 व 2/8 के मिन पूर्व की.0 505 है0 भूमि व प0 नं0 335/444 (59) किला नं. 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 336/444 (58) किला नं. 19 की 0.2530 है0, 20 की 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 191 के प0 नं0 335/438 (36) के किला नं. 12/2 की 0.2400 है0, 19/2 की 0.2400 है0, 22/2 की 0.2400 है0 व प0 नं0 335/437 (31) किला नं. 12/1 की 0.1270 है0, 13/1 की 0.1260 है0, 18/2 की 0.1260 है0, 19/1 की 0.1270 है0, 22/1 की 0.1280 है0, 23/1 की 0.1260 है0 भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 190 की कुल 0.0650 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested